न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 41/2014/अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

मै. लक्ष्मणगढ़ गैस सर्विस लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर जरिये प्रोपराईटर राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र केशरदेव वर्मा, जाति बलाई, निवासी आनन्द नगर सीकर, तहसील व जिला सीकर।
अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।
रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—
1. श्री सुरजभान सिंह अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री इन्दरपाल मीणा प्रवर्तन निरीक्षण रेस्पोडन्ट की ओर से।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.07.2014 जिला रसद अधिकारी सीकर

निर्णय

सुनवाई दिनांकः20फरवरी, 2018
दिनांकः27फरवरी, 2018

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) अपीलांट इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन (एल.पी.जी.) का लक्ष्मणगढ़ कस्बे का व्यवहारी है। उसकी गैस एजेन्सी का दिनांक 22.07.2014 को एस.डी.ओ. लक्ष्मणगढ़ द्वारा निरीक्षण किया गया। बाद निरीक्षण रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट को भेजी गई, जिसमें उसने कुछ अनियमितता बताई, जिस पर रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 22.07.2014 को ही एक कारण बताओ नोटिस जारी कर बताया कि अपीलांट ने **राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण विनिमय आदेश 1976** के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं **लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई) आर्डर 2000** का उल्लंघन का दोषी मानकर दिनांक 25.07.2014 को स्पष्टीकरण एवं सबूत मांगे। अपीलांट ने इसका जवाब प्रेषित कर दिनांक 25.07.2014 को जवाब के समर्थन में साक्ष्य लेकर गया तो पता चला कि अपीलांट का दिनांक 24.07.2014 को नियत तिथि से पूर्व ही अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

(2) अपीलांट को दिनांक 22.07.2014 को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया उसमें राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण विनिमय आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्तों उल्लंघन का दोषी माना है, जबकि अपीलांट का अनुज्ञा पत्र राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण विनिमय आदेश 1976 के तहत ना तो जारी किया है ओर ना ही पेट्रोलियम गैस खाद्यान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ की परिभाषा में आता है इसलिए इस आदेश के जरिये अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन मानना सही नहीं है।

(3) अपीलांट को दिये गये कारण बताओ नोटिस में रेस्पोडेन्ट ने लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई) आर्डर 2000 का दोषी मानकर स्पष्टीकरण मांगा है प्रथम तो इस नाम का कोई आदेश है ही नहीं, इससे मिलते जुलते नाम का एक अन्य आदेश लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई) आर्डर 2000 है। यदि इस आदेश के भी प्रावधानों का अवलोकन किया जावे तो इस आदेश में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन का कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया।

(4) अपीलांट को जो अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है वह **अनुज्ञापन राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1990 की खण्ड 3** में दिया गया है। जिसके तहत **लाईसेन्स का निलम्बन खण्ड 11** में दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि निलम्बन से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना बाध्यकारी है। अपीलांट को सुनवाई व स्पष्टीकरण के लिए रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 25.07.2014 की तारीख को सुनवाई का नोटिस दिया गया है और सुनवाई की तिथि से पूर्व ही एक दिन पहले ही दिनांक 24.07.2014 को अपीलांट का अनुज्ञापन निलम्बित कर दिया गया है। इसलिए बाध्यकारी प्रावधानों के साथ प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों की पूर्णतया अवहेलना कर गलत निर्णय पारित किया है।

(5) आदेश **1990 की खण्ड 22 (ग)** में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जप्त दस्तावेजों की रसीद व निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति अनुज्ञापन व्यवहारी को दिया जाना बाध्यकारी है, लेकिन इन बाध्यकारी उपबन्धों का पूर्णतया उल्लंघन कर न तो जप्त दस्तावेजों की रसीद दी व न ही निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति अपीलांट को दी गई।

(6) निलम्बन आदेश अपने आप में अस्पष्ट है यह कब तक प्रभावी रहेगा और किस वास्ते निरस्त की कार्यवाही लम्बित रखी गई है, इस बात का कोई उल्लेख आदेश में नहीं कर गलत आदेश पारित किया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जिला रसद अधिकरी सीकर दिनांक **24.07.2014** निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षण श्री इन्द्रपाल मीणा उपस्थित आये।

3. बहस अपीलांट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि **राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण विनिमय आदेश 1976** के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्तो एवं **लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई) आर्डर 2000** का उल्लंघन का दोषी मानकर दिनांक 25.07.2014 को अपीलांट से स्पष्टीकरण एवं सबूत मांगे। अपीलांट ने इसका जवाब प्रेषित कर दिनांक 25.07.2014 को जवाब के समर्थन में साक्ष्य लेकर गया तो पता चला कि अपीलांट का दिनांक 24.07.2014 को नियत तिथि से पूर्व ही अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया। अपीलांट को जो अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है वह **अनुज्ञापन राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1990** की **खण्ड 3** में दिया गया है। जिसके तहत **लाईसेन्स का निलम्बन खण्ड 11** में दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि निलम्बन से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाना बाध्यकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जिला रसद अधिकरी सीकर दिनांक **24.07.2014** निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने अभिकथन किया कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2014 के आधार पर गैस एजेन्सी संचालकों द्वारा मौके पर गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी करते पाया गया है। संचालकों द्वारा 100 सिलेण्डरों का फर्जी गेट पास संख्या 2 दिनांक 22.07.2014 भर कर वाहन संख्या आरटी 23 जी 2955 वाहन चालक गोरा मोहम्मद के साथ रवाना करना जाहिर किया। प्रति सिलेण्डर 16 रूपये अधिक वसूल किये जा रहे थे। सिलेण्डरो की डिलीवरी तौल कर नहीं की जा रही थी। गोदाम पर स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया। स्टॉक रजिस्टरो के अनुसार दिनांक 21.07.2014 की प्रविष्टियां की हुई नहीं थी। दिनांक 20.07.2014 के क्लोजिंग बैंलेंस के अनुसार एजेन्सी 405 भरे व 60 खाली सिलेण्डर है जबकि मौक पर 259 खाली व 351 भरे कुल 610 सिलेण्डर पाये गये जो एक गंभीर अनियमितता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाकर अपीलांट का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने का श्रम करें।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

(1) अपीलांट को **राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण विनिमय आदेश 1976** के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं **लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई) आर्डर 2000** का उल्लंघन का दोषी मानकर दिनांक 25.07.2014 को स्पष्टीकरण एवं सबूत मांगे।

(2) अपीलांट को जो अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है वह **अनुज्ञापन राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1990** की **खण्ड 3** में दिया गया है। जिसके तहत **लाईसेन्स का निलम्बन खण्ड 11** में दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि निलम्बन से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाना बाध्यकारी है, जो रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं दिया गया।

(3) **1990 की खण्ड 22 (ग)** में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जप्त दस्तावेजों की रसीद व निरीक्षण रिपोर्ट का प्रति अनुज्ञापन व्यवहारी को दिया जाना बाध्यकारी है, जो अपीलांट को नहीं दी गई।

(4) अपीलांट को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.07.2014 में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.2014 नियत की हुई है जबकि अपीलांट का अनुज्ञा पत्र दिनांक 24.07.2014 को ही रेस्पोडेन्ट द्वारा निलम्बित किया जा चुका है।

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को सिलेण्डर की कालाबाजारी का दोषी पाये जाने पर निलम्बन की कार्यवाही विधि के प्रावधानों के तहत नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी सीकर का आदेश दिनांक 24.07.2014 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी सीकर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जाचॅ कर गुण अवगुण एवं विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांकः 27 फरवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official